सं0 सं0 :– निग / सारा–02–अभि0–11–92 / 2015 .....

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक :–.....

श्री सुशील कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापन काल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत फतेहपुर से टियमु तक (पैकेज सं0–JH 1501 चतुर्थ चरण वर्ष 2006–07) को निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया गया। परंतु संवेदक श्री प्रदीप कुमार उपाध्याय, लातेहार से सांठगांठ कर एक षड़यंत्र के तहत ₹ 56,19,524 / – (छप्पन लाख उन्नीस हजार पाँच सौ चौबीस रूपये) का वास्तविक कार्य को मापी पुस्त में ₹ 1,82,21,669 / – (एक करोड़ बियासी लाख इक्कीस हजार छः सौ उनहत्तर रूपये) का कार्य दर्शाने को सत्यापित करते हुए 4 (चार) चालू विपत्रों के माध्यम से अनियमित भुगतान में सहभागी रहे हैं। इस तरह संवेदक ने संबंधित अभियंताओं से मिलकर ₹ 1,26,52,175 / – (एक करोड़ छब्बीस लाख बावन हजार एक सौ पचहत्तर रूपये) की राशि का गबन किया है। श्री कुमार द्वारा मापी पुस्त में गलत प्रविष्टि को सत्यापित कर वास्तविक कार्य से अधिक भुगतान में सहयोग किया गया। उक्त कृत्य के लिए श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–8105, दिनांक–02.12.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री सुशील कुमार के विरूद्ध, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा के पद पर कार्यावधि में बरती गयी उक्त अनियमितता के लिए निगरानी थाना काण्ड संख्या–50 / 2010, दिनांक–07.10.2010 दर्ज है, जिसमें श्री कुमार को दिनांक–16.06.2015 को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। श्री कुमार के न्यायिक हिरासत में लिये जाने के लिए उन्हें अधिसूचना संख्या–5266(S), दिनांक–24.07.2015 द्वारा दिनांक–16.06.2015 के प्रभाव से निलम्बित किया गया। उक्त काण्ड में वे दिनांक–16.06.2015 से 20.11.2015 तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं। श्री कुमार के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–50 / 2010, दिनांक–07.10.2010 में उनके विरूद्ध विधि विभाग, झारखण्ड के आदेश ज्ञापांक–97J, दिनांक–17.08.2015 द्वारा अभियोजन स्वीकृत है।

3. श्री सुशील कुमार, तदेन सहायक अभियंता, नगर निवेशन शाखा, राँची नगर निगम, राँची के पद पर पदस्थापन काल में उनके द्वारा अनियमितता बरतने के लिए श्री कमल कुमार अग्रवाल, निवासी–हातमा गली, काँके रोड, राँची के अभ्यावेदन दिनांक–17.04.2015 द्वारा शिकायत किया गया। शिकायतकर्त्ता का कथन है कि उन्होंने वर्ष–2013 में अपने निजी मकान (G+4) हेतु भवन प्लान सं0–BP02/2013/733 के द्वारा आवेदन दिया था, जिसमें रिश्वत नहीं देने के कारण उनके आवेदन को निरस्त करने की कोशिश की गई।

12/6/26

उक्त आरोपों की जाँच नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची द्वारा उप नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची से कराया गया। जाँचोपरान्त उप नगर आयुक्त के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि :–

दिनांक–11.10.2014 को नगर निवेशक श्री घनश्याम अग्रवाल द्वारा संचिका सहायक अभियंता, श्री सुशील कुमार को आवेदित भवन प्लान में कुछेक तकनीकी बिन्दुओं पर समीक्षा कर प्रतिवेदन देने के लिए पृष्ठांकित किया गया।

नगर निवेशक के उपर्युक्त निर्देश पर 72 (बहत्तर) दिनों के पश्चात् दिनांक–23.12.2014 को सहायक अभियंता, श्री सुशील कुमार के द्वारा संचिका में प्रतिवेदन अंकित किया गया। इस विलम्ब के लिए श्री सुशील कुमार द्वारा कोई कारण संचिका में अंकित नहीं किया गया और न ही कोई कारण स्पष्ट है।

श्री सुशील कुमार, सहायक अभियंता, नगर निवेशन शाखा, राँची नगर निगम, राँची के पद पर पदस्थापन से संबंधित आरोप को विभागीय आदेश सं0–1458, दिनांक–02.03.2016 द्वारा पूरक आरोप पत्र के रूप में पूर्व से विभागीय संकल्प सं0–8105, दिनांक–02.12.2015 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के साथ सम्मिलित कर लिया गया।

4. श्री सुशील कुमार के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–50/2010, दिनांक–07.10.2010 में उनके विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत रहने के कारण विभागीय पत्रांक–582(S), दिनांक–25.01.2019 द्वारा उन्हे सूचित करते हुए उनके निलम्बन अवधि को दिनांक–16.06.2015 के प्रभाव से जारी रखा गया है।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या–1616(S), दिनांक–08.03.2019 द्वारा श्री सुशील कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा एवं तदेन सहायक अभियंता, नगर निवेशन शाखा, राँची नगर निगम, राँची सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करते हुए इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया गया है, जिस पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

6. इस प्रकार श्री सुशील कुमार दिनांक–16.06.2015 से सेवा से बर्खास्तगी की तिथि दिनांक–08.03.2019 तक, जिसमें उनका न्यायिक हिरासत की तिथि दिनांक–16.06.2015 से 20.11.2015 तक सम्मिलित है, निलम्बित रहे हैं। श्री कुमार की सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक–31.05.2019 है।

7. Special Judge, Vigilance, Ranchi के न्यायालय द्वारा Vigilance P.S. Case No. 50/2010 में दि0–20.11.2015 को श्री कुमार को जमानत पर रिहा करने के संबंध में आदेश पारित किया गया। उक्त जमानत दिये जाने के पश्चात् बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारावास, होटवार से श्री कुमार को दि0–21.11.2015 को विमुक्त किया गया है। दि0–22.11.2015 को रविवारीय अवकाश होने के फलस्वरूप श्री कुमार द्वारा कार्यपालक अभिंयता, पथ प्रमंडल, गुमला में दि0–23.11.2015 में योगदान समर्पित किया गया है।

8. श्री सुशील कुमार द्वारा अधिसूचना संख्या–1616(S), दिनांक–08.03.2019 द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध W.P.(S) No.-1608/2022- Sushil Kumar Vs. The State of Jharkhand दायर किया गया है, जिसमें माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक–10.07.2024 पारित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने से संबंधित संकल्प दिनांक–02.12.2015 एवं उनके विरूद्ध अधिसूचना दिनांक–08.03.2019 द्वारा अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी के दण्ड को निरस्त कर दिया गया है।

आदेश दिनांक–10.07.2024 का Operative Part निम्नवत् है :–

"----------

Having regard to the aforesaid discussions and the rulings referred to hereinabove, coupled with the facts of the instant case, where no oral evidence has been adduced the author of the documents has not been examined; documents which has been relied upon was of preliminary inquiry which does not have any bearing in full-fledged departmental inquiry; as such the impugned order dated 08.03.2019 (Annexure-9) and Government Resolution dated 02.12.2015, are hereby, quashed and set aside.

Since the petitioner has been terminated at the fag-end of service; as such he would be deemed to be reinstated from the date, he was terminated only for the purpose of calculating the pensionary benefits and accordingly, the respondents are directed to extend the consequential

Accordingly, the instant writ application stands allowed in the manner indicated hereinabove.

---"

9. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No.-1608/2022- Sushil Kumar Vs. The State of Jharkhand में पारित आदेश दिनांक–10.07.2024 के विरूद्ध विभाग द्वारा L.P.A No.-452/2025- The State of Jharkhand Vs. Sushil Kumar दायर किया गया है, जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

10. श्री सुशील कुमार द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा W.P.(S) No.-1608/2022 में पारित आदेश दिनांक–10.07.2024 के अनुपालन हेतु Cont. (C) No.-1128/2024-Sushil Kumar Vs. The State of Jharkhand दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक–08.08.2025 पारित किया गया है। आदेश दिनांक–08.08.2025 का Operative Part निम्नवत् है :–

"From perusal of show-cause, it appears that State has preferred L.P.A however, till date no stay has been granted by the learned Appellate Court.

Accordingly, opposite parties are directed to comply the order before the next date of hearing, subject to final outcome of L.P.A, alternatively, they shall submit stay order, if any"

अतः W.P.(S) No.-1608/2022 में पारित आदेश दिनांक–10.07.2024 एवं Cont. (C) No.-1128/2024 में पारित आदेश दिनांक–08.08.2025 के अनुपालन में श्री सुशील कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को सेवा में पुनर्बहाल करने के निमित्त निम्न निर्णय लिया जाता है:–

i) श्री सुशील कुमार, सहायक अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने संबंधित विभागीय संकल्प सं0–8105, दिनांक–02.12.2015 एवं इनको सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित करने संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या–1616(S), दिनांक–08.03.2019 को विलोपित किया जाता है।

ii) श्री कुमार दिनांक–08.03.2019 को सहायक अभियंता के रूप में सरकारी सेवा में पुनर्बहाल माने जायेंगे।

iii) श्री कुमार के कारावास की अवधि दि0–16.06.2015 से दि0–20.11.2015 तक की अवधि एवं श्री कुमार के कारावास से विमुक्त होने की तिथि दि0–21.11.2015 तथा श्री कुमार द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गुमला में योगदान करने की तिथि के पूर्व की तिथि अर्थात दि0–22.11.2015(रविवार) को निलंबन अवधि के रूप में मानी जाएगी, जो पेंशन प्रदायी सेवा के रूप में परिगणित किया जाएगा।

iv) श्री कुमार द्वारा कारावास अवधि के पश्चात् योगदान दिये जाने की तिथि दि0–23.11.2015 से सेवानिवृति की तिथि दि0–31.05.2019 तक की अवधि सभी प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि पर मानी जाएगी। दि0–23.11.2015 से दि0–31.05.2019 तक की अवधि का पूर्ण वेतन एवं भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जाएगा।

v) श्री सुशील कुमार के निलम्बन अवधि, जिसमें उनका न्यायिक हिरासत की तिथि दिनांक–16.06.2015 से 20.11.2015 तक सम्मिलित है एवं दि0–21.11.2015 तथा दि0–22.11.2015, के विनियमन के संबंध में निर्णय इनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–50/2010, दिनांक–07.10.2010 के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

vi) कंडिका–(i) से (v) में अंकित निर्णय L.P.A No.-452/2025- The State of Jharkhand Vs. Sushil Kumar में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से आच्छादित/प्रभावित होगा।

vii) उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–27.05.2026 के मद सं0–17 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

ह0/–

(सुनील कुमार)

ई (गजट)

ज्ञापांक :– निग/सारा(पथ)–15–वि0का0–5–62/2019...2367...दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.06.25

सरकार के प्रधान सचिव।